

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)70/2011अलेसे-1116139-46 दिनांक:-25 सितम्बर 2013

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 279/2013-14 दिनांक 06 फरवरी 2013 में क्रम संख्या 8 पर अंकित श्री भंवर लाल पुत्र श्री सोहन लाल सैनी, ढाणीगंज की ग्राम पोस्ट, नारायणपुर तहसील थानागाजी, जिला अलवर पिन कोट 301024 को लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी जाकर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बाडमेर में पदस्थापित किया गया था परन्तु श्री भंवर लाल द्वारा अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण श्री भंवर लाल का विभाग के आदेश संख्या 279/2013-14 दिनांक 06 फरवरी 2013 के क्रम संख्या 8 से जारी नियुक्ति आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)70/2011अलेसे-1116139-46 दिनांक:-25 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बाडमेर
4. श्री भंवर लाल पुत्र श्री सोहन लाल सैनी, ढाणीगंज की ग्राम पोस्ट, नारायणपुर तहसील थानागाजी, जिला अलवर पिन कोट 301024 (लिफ्ट नं. 9380/2011)
5. विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. निजी सहायक, निदेशक
7. पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा
8. रक्षित/निजी पत्रावली


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)